

RAJASTHAN HIGH COURT

सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 1738/2026

Laxmana Ram S/o Prema Ram, Aged About 31 Years, R/o Gang,
P.s Raniwada, District Jalore. (Lodged In Central Jail Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. JS Choudhary, Sr. Adv. assisted by Mr. Pradeep Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Pawan Bhati, PP.

HON'BLE MR. JUSTICE MUKESH RAJPUROHIT

Order

24/03/2026

This second application for bail under Section 483 of BNSS (439 Cr.P.C.) has been filed by the petitioner who has been arrested in the present matter. The requisite details of the matter are tabulated herein below:

S. No.	Particulars of the case	
1.	FIR Number	281/2024
2.	Police Station	Raniwada
3.	District	Sanchore
4.	Offences alleged in the FIR	Under Sections 126(2), 115(2),109(1), 308(2) and 3(5) of BNS, 2023.
5.	Offences added, if any	Under Section 103(1) 190 and 191(2) of BNS, 2023.

The 1st bail application filed on behalf of petitioner i.e. S.B. Criminal Misc. Bail Application No.11964/2025 was dismissed vide order dated 29.10.2025 passed by this Court with the liberty to the petitioner to file fresh bail application after recording the

statement of Jeta Ram @ Jayanti and Magan Ram. After rejection of first bail application, the statement of Jeta Ram @ Jayanti and Magan Ram, has been recorded before the trial court, deposed as PW-3 and PW-5 respectively. Hence, this second application for bail has been filed.

It is contended by learned counsel for the petitioner that the allegations levelled against the petitioner are false and fabricated. PW-3 Jeta Ram @ Jayanti Lal and PW-5 Magan Ram have improvised their statements, and that their testimony is not reliable, as both of them are relative of the deceased Hakma Ram.

The relevant portion of the statements of PW-3 Jeta Ram @ Jayanti Lal recorded are reproduced hereunder:-

"यह कहना सही है कि मजीराम घटनास्थल पर मौजूद हो यह बात पुलिस बयान प्रदर्श डी 5 में लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि मुलजिमान सांवलाराम, लक्ष्मण व मंजीराम हकमाराम को होटल से खींचकर ६ घटनास्थल पर लाये हो उक्त बात मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 5 में लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि किस मुलजिम के हाथ में क्या हथियार था उक्त बात मेरे पुलिस बयान में लिखी हुई नहीं है। अजखुद कहा मुलजिमानों के हाथ में लाठी व स्टील की पाईप थी यह लिख हुआ है। यह कहना सही है कि मुलजिमान किन नंबरों की गाड़ी लेकर आये थे वो मैंने नंबर नहीं देखे इसलिए बयानों में नहीं लिखवाये। लक्ष्मणाराम के हाथ में लौहे की पाईप हो व सांवलाराम व मंजीराम के हाथ में लाठी हो यह बात मेरे पुलिस बयानों में लिखी हुई नहीं है। अजखुद कहा मुलजिमान के हाथ में लाठियां व स्टील का पाईप था ऐसा लिखवाया था। यह कहना सही है कि सांवलाराम ने लाठी की चोट हकमाराम के सिर में मारी जिसे उसने अपने हाथ से बचाया व उससे हाथ टूट गया हो उक्त बात मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 5 में लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि हकमाराम के दोनों पैरों पर मुलजिमान से चोट मारी हो जिससे उसके पैर टूट गये हो व नश टूट गयी हो ऐसा मेरे पुलिस बयान में लिखा हुआ नहीं है। यह कहना सही है कि हकमाराम के सिर में कोई चोट लगी हो उक्त बात का अंकन नहीं है। यह कहना सही है कि मुलजिमानों ने हकमाराम के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की हो ऐसा मेरे पुलिस बयानों में लिखा हुआ नहीं है। यह कहना सही है कि मैं मृतक हकमाराम व मुलजिमानों को जानता हूं। मुझे जानकारी नहीं है कि मुलजिमान व हकमाराम के बीच कोई अदावदी हो।...

यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान में किस मुलजिम ने मृतक के कहां चोट मारी यह लिखा हुआ नहीं है। हकमाराम का हाथ टूट गया हो यह बात मेरे बयानों में लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान में उक्त बात लिखी हुई नहीं है कि मुलजिमानों ने जाते हुए कहा हो कि आज तो आपने छुड़ा दिया है आईदा इसे जान से मार देंगे। मैंने पुलिस को घटनास्थल का निरीक्षण करवाया था। यह कहना सही है कि मारपीट वाली जगह सड़क के किनारे आयी हुई है। यह कहना सही है कि घटनास्थल से हजारों वाहन आते-जाते हैं। यह कहना सही है कि घटना के समय होटल के आगे दो ढक भी खड़े थे, उक्त घटना टक के पास घटित हुई थी। यह कहना सही है कि नक्शामीका में मैं घटना के वक्त कहा खड़ा था व घटना देखी, वह स्थान मैंने पुलिस को नहीं बताया। ...

....घटनास्थल का निरीक्षण घटना के 4 दिन उसे बाद किया था। मेरे पुलिस में बयान घटना के 4 दिन बाद हुए थे। यह कहना सही है कि जिस दिन पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया उसी दिन मेरे बयान लिए गए थे उससे पहले नहीं लिए गए थे। यह कहना सही है कि मैं । पुलिस के पास स्वयं बयान देने नहीं गया था मौका निरीक्षण के लिए पुलिस ने मुझे बुलाया था। यह कहना सही है कि फर्द सुरतहाल लाश फर्द प्रदर्श 2 में हाथ और पायों के अलावा शरीर पर अन्य कहीं पर चोट लगने का हवाला नहीं दिया गया है। यह कहना सही है कि सिर और किसी भी नाजूक अंग पर चोट लगी हुयी नहीं थी। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान में सिर पर चोट मारना नहीं बताया है। मैंने मेरे मुख्य परीक्षण में सिर पर चोट मारना बताया है जबकि फर्द सुरतहाल लाश में उक्त बात लिखी हुयी नहीं है। मोहन व मगन द्वारा बचाव करने की बात मैंने मेरे पुलिस बयान डी 5 में लिखी हुयी नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा पुलिस को घटना की कोई सूचना नहीं दी गयी। यह कहना सही है कि घटनास्थल के निरीक्षण के समय जो खून आलूदा सादा मिट्टी पुलिस ने ली उसका हवाला मौका रिपोर्ट में ही दिया था मिट्टी लेने की कोई अलग से फर्द नहीं बनायी। यह सही है कि मेरे पुलिस बयान डी 5 में यह लिखा हुआ नहीं है मंजी राम की लाठी टूटी हो और वह उसे मौके पर ही छोड़ कर गया हो। कृष्ण वक्त घटना मौके पर आया हो उक्त बात मेरे पुलिस बयान में लिखी हुयी नहीं है। मेरे द्वारा घटना स्थल से अखाराम को फोन नहीं किया। यह कहना गलत है कि मृतक हकमाराम मेरा काकायी व माती का लडका होने से मुलजिमान को झूठा फंसाने लिए आज झूठे बयान दे रहा होउ। यह कहना गलत है कि मैं घटना स्थल पर नहीं होउ और झूठा गवाह बना होउ”

The statements of PW-5 Magan Ram are reproduced

hereunder:

"यह कहना सही है कि हम हकमाराम को पालनपुर लेकर गये तब तक यह होश में था। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में मंजीराम द्वारा मारपीट करना नहीं लिखा हुआ है। यह कहना सही है कि रानीवाडा अस्पताल में पुलिस आयी थी। यह कहना सही है कि पुलिस द्वारा रानीवाडा अस्पताल में हकमाराम के कोई पर्चा बयान नहीं लिये थे। यह कहना सही है कि उस समय हॉस्पिटल में हमारी ओर से घटना बाबत रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी गयी थी। यह कहना सही है कि हकमाराम के शरीर पर कहां-कहां चोटें आयी थी यह बात मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में लिखी हुई नहीं है। किस मुलजिम ने किस हथियार से हकमाराम के साथ मारपीट की यह बात मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में लिखी हुई नहीं है। मैं धानेरा स्वीफ्ट कार से जा रहा था, उक्त बात मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि मृतक हकमाराम मेरे जीजा व साला दोनों लगते है। यह कहना सही है कि मैं घटनास्थल पर गया तब मुलजिमान मुझे देखकर वहा से भाग गये थे। यह कहना सही है कि मुलजिमान के हाथ में लाठी व लोहे का पाईप हो यह बात मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा घटना का कोई विडियो नहीं बनाया गया था। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में हकमाराम से 1 लाख रूपये मुलजिमान छीनकर ले गये हो यह बात लिखी हुई नहीं है। मेरे पुलिस में बयान 16.12.2024 को हुए थे। अजखुद कहा मेरे 13 तारिख को अस्पताल में बयान लिये थे। यह कहना गलत है कि मैं घटना के दिन अहमदाबाद होउ। यह कहना सही है कि पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में यह लिखा हुआ नहीं है कि मेरे द्वारा मुलजिमान को मृतक हकमाराम के साथ हथियारों से मारपीट करते देखा हो। यह कहना सही है कि रायमाराम घटन स्थल पर उपस्थित हो यह बात प्रदर्श डी 2 में लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में यह लिखा हुआ नहीं है कि हकमाराम के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की हो। यह कहना गलत है कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं हो कि हकमाराम के साथ किसने मारपीट की हो। यह कहना गलत है कि मारपीट करने वाले 6-7 लोगो हो। अजखुद कहा 3 लोग थे। यह कहना सही है कि मारपीट करने वाले 3 लोग ही हो यह बात मेरे पुलिस बयान में लिखी हुई नहीं है। यह कहना सही है कि मैं घटनास्थल पर 3-4 बजे गया

होउं यह बात मेरे पुलिस बयान प्रदर्श डी 2 में लिखी हुई नहीं है। यह कहना गलत है कि हकमराम के साथ किसी अन्य व्यक्ति ने मारपीट की हो व अदावदी के कारण सांवलराम, मंजीराम, लक्ष्मणराम नाम इस प्रकरण में झूठा लिखवाया हो। यह कहना सही है कि सभी गवाहान् आपस में रिश्तेदार है। यह कहना गलत है कि मैं अखाराम व केसाराम के कहने से एवं हकमराम मेरा जीजा व साला लगने से झूठा प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य बना होउ। यह कहना सही है कि मुझे उक्त घटना हकमराम ने बतायी थी।”

It is contended that PW-3 Jeta Ram@Jayanti Lal has deposed about a head injury in his examination whereas the Post Mortem report does not mention any head injury; this contradiction between the court deposition and the Post Mortem report renders the credibility of this eyewitness seriously undermined and cannot be relied upon.

Learned counsel further submitted that there has been a delay in registering the FIR, that there is no injury on any vital part of the body, and that no specific injury has been attributed to the present petitioner.

Learned counsel for the petitioner has further contended that co-accused Manji Ram has already been enlarged on bail by this Hon'ble Court vide order dated 11.09.2025 passed in S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 9971/2025, notwithstanding the fact that he too was specifically named by the eyewitnesses. It is, therefore, submitted that the case of the present petitioner is not materially distinguishable from that of co-accused Manji Ram, and he is consequently entitled to be enlarged on bail.

Learned counsel for the petitioner submitted that the co-accused Manji Ram has already been enlarged on bail by this Court vide order dated 11.09.2025 passed in S.B. Criminal Misc. Bail Application No.9971/2025.

It is further submitted that the petitioner has no previous antecedents; the challan has already been filed and the petitioner

has been in custody since 13.12.2024, i.e. for about 1 year, 3 months, and 17 days as on today. The trial of the case is likely to take a sufficiently long time to conclude, therefore, further incarceration of the petitioner is not warranted and the benefit of bail deserves to be granted.

Per contra, learned Public Prosecutor has opposed the bail application and submitted that blood stained clothes of deceased has been recovered from the possession on the present petitioner; which clearly establishes the involvement of the present petitioner in the said crime, therefore, he may not be enlarged on bail.

In response, learned counsel for the petitioner submits that as per the FSL report, the blood grouping in respect of the recovered clothes is reported as "Inconclusive". However, the issue as to whether the detected blood relates to the deceased is a matter of trial and cannot be presumed at this stage.

Having heard and considered the rival submissions, facts and circumstances of the case as well as perused material available on record; considering the fact that challan has already been filed; the petitioner has remained in custody since 13.12.2024, i.e. for about 1 year, 3 months, and 17 days as on today, the petitioner has no previous criminal antecedents and the trial of the case will take sufficient long time to conclude; without expressing any opinion on merits/demerits of the case, this Court is inclined to enlarge the petitioner on bail.

Consequently, the second bail application under Section 483 of BNSS (439 Cr.P.C.) is allowed. It is ordered that the accused-petitioner as named in the cause title, arrested in connection with the above mentioned FIR, shall be released on bail, if not wanted

in any other case, provided he furnishes a personal bond of Rs.1,00,000/- and two sureties of Rs.50,000/- each, to the satisfaction of learned trial court, for his appearance before that court on each & every date of hearing and whenever called upon to do so till completion of the trial.

(MUKESH RAJPUROHIT),J

223-/Jitender//-